न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा,

जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– भवानी सिंह आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 22 / 2019

वादीया :– गलकूदेवी पत्नी श्री गंगाविशन, जाति विश्नोई, निवासी ग्राम तिलवासनी, तहसील पीपाड़शहर जिला जोधपुर राज.

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. अणदीबाई पत्नी श्री खूमाराम, जाति कुम्हार, निवासी कुशालपुरा, तहसील रायपुर, जिला पाली राज. हाल तिरूपति।
2. जयन्तीलाल पुत्र गैहरालाल जाति महाजन, निवासी बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.
3. मेघसिंह पुत्र श्री सवाईसिंह,
4. मंगलसिंह पुत्र श्री सवाईसिंह,
5. भंवरसिंह पुत्र श्री सवाईसिंह,
6. अमरसिंह पुत्र श्री सवाईसिंह,
7. सुन्दरसिंह पुत्र श्री बादरसिंह
8. मनोहरसिंह पुत्र श्री बादरसिंह
9. अनोपकंवर पत्नी श्री बादरसिंह
10. नरपतसिंह पुत्र श्री तेजसिंह

    सभी जातियान राजपूत निवासीगण ग्राम पिचियाक, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.
11. आशाराम पुत्र श्री पूनाराम
12. डूंगरराम पुत्र श्री पूनाराम
13. नरपतसिंह पुत्र श्री भैरूसिंह

    सभी जातियान कीर, निवासी पिचियाक, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा।

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

उपस्थिति :— वादीया की ओर से श्री अशोक कुमार पटेल अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 11 व 12 की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 से 10 व 13 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही। प्रतिवादी संख्या 14 सरकारी पैरोकार।

निर्णय **दिनांक** 6/10/22

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम जसवन्तपुरा, पटवार हल्का पिचियाक की सरहद में वादीया की सयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 245 रकबा 16 बीघा 7 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय आई हुई है। जिसमें वादीया का 5/16 वॉ हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/16 वॉ हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 3/32 वॉ हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 से 6 का 1/8 वॉ हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 से 9 का 1/16 वॉ हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 10 का 1/32 वॉ हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 11 व 12 का 6/32 वॉ हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 13 का 1/8 वॉ हिस्सा है। इस प्रकार उक्त खसरे की भूमि पक्षकारों की सयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि है। छैलसिंह पुत्र श्री सवाई अविवाहित फौत है तथा कानसिंह पुत्र श्री सवाईसिंह अविवाहित काफी वर्षो पहले साधु बन कर साधुओं के साथ चला गया। इस प्रकार छैलसिंह व कानसिंह के एकमात्र वारिस प्रतिवादी संख्या 3, 4, 5, 6 है। वाद पत्र के पद संख्या 1 में वर्णितानुसार वादग्रस्त भूमि में वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 13 का वाद के पद संख्या 1 में दर्शाये हिस्से अनुसार वादग्रस्त भूमि पर कब्जा व काश्त निर्बाध रूप से चला आ रहा है। उपरोक्त वादग्रस्त भूमि का वादीया ने अपने हक हिस्से अनुसार राजस्व रेकर्ड में बंटवाड़ा करवाने का प्रतिवादी संख्या 1 से 13 को बार—बार कहा गया मगर प्रतिवादीगण की नियत में खोट आ जाने के कारण बंटवाड़ा करना नही चाहते है तथा अपने मन माने ढंग से वादग्रस्त भूमि में वादीया को काश्त करने की धमकी अभी हाल ही में दी है तथा वादीया को अपने हक हिस्से से महरूम करने की धमकी दी है तथा वादीया जहा पर काश्त कर रही है वहा पर प्रतिवादीगण लाठियों के बल पर काश्त करने की धमकिया वादीया को दी है। वादीया के पास बंटवाड़ा करवाने का अन्य कोई विकल्प नही रहा है एकमात्र समाधान दावा के जरिये ही हल हो सकता है। वादग्रस्त भूमि में वादीया के हक हिस्से की भूमि में प्रतिवादीगण को वादीया के कब्जे काश्त में किसी

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

प्रकार का दखल करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द नही किया गया तो वादीया को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति रूपयों में किया जाना संभव नही होगा तथा वादीया अपने हक हिस्से की भूमि से हमेशा हमेशा के लिये वंचित हो जायेगी। वादग्रस्त भूमि सयुक्त खातेदारी की होने से वादीया ने प्रतिवादीगण संख्या 1 से 13 को उनके हक हिस्से की भूमि का बंटवाड़ा कर अलग करने का निवेदन किया लेकिन प्रतिवादीगण संख्या 1 से 13 ने बंटवाड़ा करने से इन्कार कर दिया इस कारण वादीया को अपने खातेदारी अधिकारों के लिये बंटवाड़ा के लिये दावा पेश करना पड़ रहा है। वादकारण वादग्रस्त भूमि वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 13 की सयुक्त खातेदारी की भूमि होने से तथा प्रतिवादी संख्या 14 द्वारा वादीया के हिस्से की भूमि का बंटवाड़ा करने से इन्कार करने पर पैदा हुआ।

अन्त में निवेदन किया कि वादीया का वाद डिक्री किया जावे कि ग्राम जसवन्तपुरा की सरहद में वादीया की सयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 245 रकबा 16 बीघा 7 बिस्वा में वादीया के 5/16 वे हिस्से की भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाडा किया जाकर वादीया की खातेदारी में अलग से दर्ज किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया वादी का दावा दिनांक 03.03.2022 को प्राथमिक डिक्री किया गया और ग्राम जसवन्तपुरा तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में स्थित भूमि खसरा सं. 245 रकबा 2.6454 हैक्टेयर का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किया जाकर वादीया के 5/16 वॉ हिस्से की भूमि का तथा प्रतिवादी संख्या 11 के 3/32 वॉ हिस्से की भूमि तथा प्रतिवादी संख्या 12 के 3/16 वॉ हिस्से की भूमि का उभय पक्षकारान को सूचित किया जाकर तारीख निश्चित कर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा प्रस्तावित करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया गया। जिसकी पालना करते हुए तहसीलदार बिलाड़ा ने बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो निम्नानुसार है ग्राम जसवन्तपुरा तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 245 रकबा 0.6267 हैक्टेयर (5 बीघा 02 बिस्वा) भूमि वादीया गलकूदेवी पत्नी गंगाविशन जाति विश्नोई सा. देह खातेदार के बंट में रखी गयी, तथा खसरा नम्बर 245/1 रकबा 0.2480 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 11 आशाराम पुत्र पूनाराम जाति कीर सा. पिचियाक के बंट में रखी गयी, इसी प्रकार खसरा नम्बर 245/2 रकबा 0.4960 हैक्टेयर प्रतिवादी

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

संख्या 12 डूंगरराम पुत्र पूनाराम, जाति कीर सा. पिचियाक के बंट में रखी गयी। इसी प्रकार खसरा नम्बर 245/3 रकबा 1.0747 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 अणदाई पत्नी खूमाराम, प्रतिवादी संख्या 2 जयंतीलाल पुत्र गेहराराम, प्रतिवादी संख्या 3 से 6 मेघसिंह वगैरा, प्रतिवादी संख्या 7 से 9 सुन्दरसिंह वगैरा, प्रतिवादी संख्या 10 व 13 नरपतसिंह वगैरा के बंट में रखी गयी। बंटवाड़ा प्रस्ताव को लेकर किसी भी पक्षकार ने कोई आपति पेश नही की। बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग समझा जावे तथा बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादीया व प्रतिवादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करने व नक्शा ट्रेस में बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के अनुसार तरमीम करने का आदेश तहसीलदार बिलाड़ा को दिया जाता है एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादीया की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 6/10/22 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा,

ब इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

वादीया :– गलकूदेवी पत्नी श्री गंगाविशन, जाति विश्नोई, निवासी ग्राम तिलवासनी, तहसील पीपाड़शहर जिला जोधपुर राज.

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. अणदीबाई पत्नी श्री खूमाराम, जाति कुम्हार, निवासी कुशालपुरा, तहसील रायपुर, जिला पाली राज. हाल तिरूपति।
2. जयन्तीलाल पुत्र गैहरालाल जाति महाजन, निवासी बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.
3. मेघसिंह पुत्र श्री सवाईसिंह,
4. मंगलसिंह पुत्र श्री सवाईसिंह,
5. भंवरसिंह पुत्र श्री सवाईसिंह,
6. अमरसिंह पुत्र श्री सवाईसिंह,
7. सुन्दरसिंह पुत्र श्री बादरसिंह
8. मनोहरसिंह पुत्र श्री बादरसिंह
9. अनोपकंवर पत्नी श्री बादरसिंह
10. नरपतसिंह पुत्र श्री तेजसिंह

    सभी जातियान राजपूत निवासीगण ग्राम पिचियाक, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.
11. आशाराम पुत्र श्री पूनाराम
12. डूंगरराम पुत्र श्री पूनाराम
13. नरपतसिंह पुत्र श्री भैरूसिंह

    सभी जातियान कीर, निवासी पिचियाक, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा।

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955

राजस्व वाद संख्या :– 22 / 2019

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय दिनांक :— 6/10/22

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री अशोक कुमार पटेल अधिवक्ता वादी, मिनजानिब मुद्दई प्रतिवादी संख्या 11 से 12 की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 14 सरकारी पैरोकार उपस्थित होकर प्रतिवादी संख्या 1 से 10 व 13 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम जसवन्तपुरा तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 245 रकबा 0.6267 हैक्टेयर (5 बीघा 02 बिस्वा) भूमि वादीया गलकूदेवी पत्नी गंगाविशन जाति विश्नोई सा. देह खातेदार के बंट में रखी गयी, तथा खसरा नम्बर 245/1 रकबा 0.2480 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 11 आशाराम पुत्र पूनाराम जाति कीर सा. पिचियाक के बंट में रखी गयी, इसी प्रकार खसरा नम्बर 245/2 रकबा 0.4960 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 12 डूंगरराम पुत्र पूनाराम, जाति कीर सा. पिचियाक के बंट में रखी गयी। इसी प्रकार खसरा नम्बर 245/3 रकबा 1.0747 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 अणदाई पत्नी खूमाराम, प्रतिवादी संख्या 2 जयंतीलाल पुत्र गेहराराम, प्रतिवादी संख्या 3 से 6 मेघसिंह वगैरा, प्रतिवादी संख्या 7 से 9 सुन्दरसिंह वगैरा, प्रतिवादी संख्या 10 व 13 नरपतसिंह वगैरा के बंट में रखी गयी। बंटवाड़ा प्रस्ताव को लेकर किसी भी पक्षकार ने कोई आपति पेश नही की। बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग समझा जावे तथा बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादीया व प्रतिवादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करने व नक्शा ट्रेस में बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के अनुसार तरमीम करने का आदेश तहसीलदार बिलाड़ा को दिया जाता है एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादीया की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करे।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह –सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक –की अदा करें।बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 6/10/22 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा